



उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

कॉलेज एवं स्ट्रॉटेंट प्रबंधन प्रणाली

मध्य प्रदेश हालातानन्दन । 1466 । 80 । 5522

गाँव की बेटी

मुख्य पुस्तक / योजना / विभागीय योजनाएँ / गाँव की बेटी

आवेदक की पात्रता	लाभ/राशि	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
<ul style="list-style-type: none"> छात्रा गाँव की निवासी हो। गाँव में रहकर गाँव की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो। शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। 	<ul style="list-style-type: none"> रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष 	<ul style="list-style-type: none"> निर्धारित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के ऑनलाइन पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in द्वारा आवेदन किये जाते हैं। स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है। स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक खाते में राशि जमा हो जाती है। यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्रा इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

Explore

गाँव की बेटी

contact left menu 1

प्रतिभा किरण

विक्रमादित्य योजना

एकीकृत छात्रवृत्ति योजनाएं

संस्कृत छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को पी.एचडी शोध

दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति

दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्वाह एवं परिवहनभत्ता

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु भत्ता

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को

पोर्ट ऐट्रिक छात्रवृत्ति

आवास भत्ता सहायता योजना

सघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी

सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना



उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

कॉलेज एवं स्टूडेंट प्रबंधन प्रणाली

मध्यप्रदेश शासन के अधीन संचालित

प्रतिभा किरण

आवेदक की पात्रता

- छात्र शहर की निवासी हो।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो।
- शहर में रहकर शहर की पाठशाला से 12 वीं कक्षा न्यूनतम रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह की 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण हो। राशि रूपये 5000/- प्रतिवर्ष
- शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सातक कक्षा में अध्ययनरत हो।

लाभ/राशि

आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया

- नियंत्रित तिथियों में प्रतिवर्ष छात्रति के अंतर्गत पोर्टल <http://scholarshipportal.mp.nic.in> द्वारा आवेदन किये जाते हैं।
- स्वीकृति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दी जाती है।
- स्वीकृति के उपरांत विद्यार्थियों के बैंक स्राते में गणि जमा हो जाती है।
- यह योजना प्रोत्साहन योजना है, अतः हितग्राही छात्र इसके साथ अन्य योजनाओं का भी लाभ ले सकती है।

प्रतिभा किरण

गाँव की बेटी

contact left menu 1

प्रतिभा किरण

विक्रमादित्य योजना

एकीकृत छात्रवृत्ति योजनाएं

संस्कृत छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति/जनजाति विद्यार्थियों को पी.एचडी शोध

दिव्यांग विद्यार्थियों को शोध छात्रवृत्ति

दिव्यांग विद्यार्थियों को निर्वाह एवं परिवहनभत्ता

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

आवास भत्ता सहायता योजना

सघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी